न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 238/2023 तारीख रजू:– 21.12.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. अरुणा देवी पुत्री श्री स्वरूपचन्द पत्नी घनश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान ———————————————सायला

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामरतन, जाति ब्राह्मण, निवासी चौबेपाडा, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील–हिण्डौन जिला–करौली – गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायला

2. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं0 1

निर्णय दिनांक :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश किया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायला व उसके पिता स्वरूप चन्द का सजरा निम्न प्रकार है :–

लक्ष्मण दास

स्वरूपचन्द धनजीदास (अविवाहित फौत) कान्ति (फौत) शांति (फौत)

अरुणादेवी (पुत्री)

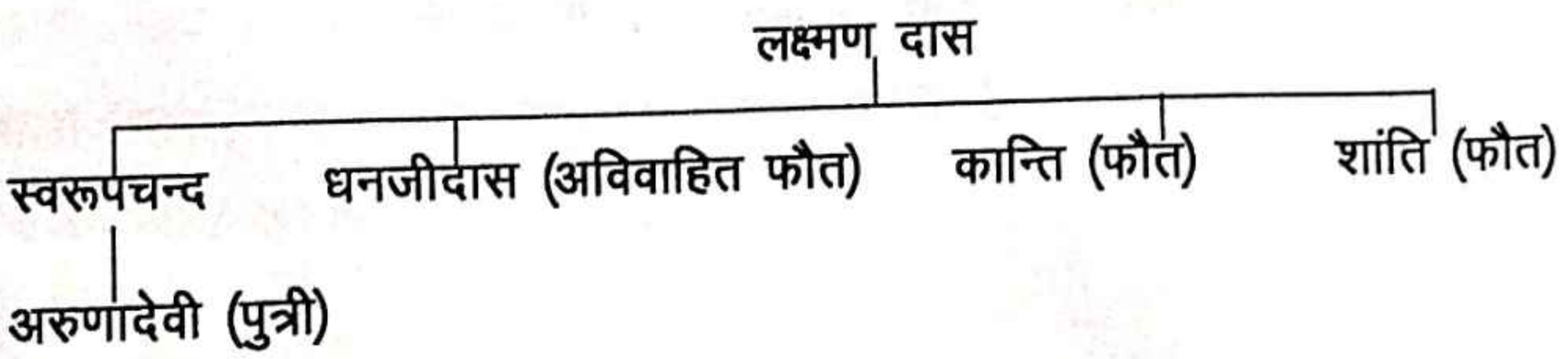

इस प्रकार सायला ही एकमात्र स्वरूप चन्द की जायज कानूनी वारिस व एकमात्र उत्तराधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि मृतक स्वरूप चन्द की शादी सायला की माता द्रोपदी देवी के साथ हिण्डौन सिटी में सम्पन्न हुई थी, लेकिन सायला के पिता स्वरूप चन्द ने कुछ साल बाद उसे छोड़ दिया था। सायला स्वरूप चन्द्र जती के बिन्द से पैदा हुई पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक स्वरूप चन्द की सम्पदा को प्राप्त करने की हक़दार है। मृतक स्वरूप चन्द ने ही दिनांक 01.03. 1968 को सायला की शादी की थी और कन्यादान किया था, सायला ने स्वरूप चन्द की मृत्यु पर्यन्त सेवा की तथा मृतक स्वरूप चन्द ने सायला के लड़के जूली को उसके मरने के बाद जायदाद का वारिस भी माना था और उस सम्बंध में एक लिखावट दिनांक 14.01. 1981 को 3/–रुपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर गवाही गवाहान सीताराम व कन्हैयालाल की कराकर सायला को संभला दी थी, इस प्रकार सायला ही एकमात्र मृतक स्वरूपचन्द की जायदाद की मालिक है और उसे कानूनी रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि गैरसायल नम्बर 01 अपने पिता रामरतन पुत्र श्रीचन्द का खास लड़का है जो आज भी वह सरकारी रिकॉर्ड में रामरतन का पुत्र दर्ज है। रामरतन का मृतक स्वरूप चन्द के परिवार से कभी कोई वास्ता आज तक नहीं रहा, ना ही मृतक स्वरूप चन्द की जमीन जायदाद से कोई सम्बंध आज तक रहा, ना ही आज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि मृतक स्वरूप चन्द की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286 रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर, 5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर; 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21 ऐयर, 5322 रकवा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 9 है0 7 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है, जिस पर सायला अपने पिता स्वरूप चन्द के मरने के पश्चात काबिज व दखील चली आ रही है। उक्त आराजीयात से गैरसायल नम्बर 01 व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायल संख्या 01 बहुत ही चालाक किस्म का व आदतन अपराधी व्यक्ति है तथा सायला के पिता स्वरूप चन्द की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र पर गैरसायल संख्या 01 की उक्त आराजीयात को हड़पने की नीयत से तथा सायला को अपने पिता की जायदाद से महरूम करने की गरज से गैरसायल संख्या 01 ने कभी तो दानपत्र कभी गोद पत्र तो कभी वसीयतनामा की बात बतलाकर सायला को उक्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देता है, जबकि गैरसायल संख्या 01 के हक में सायला के पिता स्वरूप चन्द ने न तो कभी कोई दान पत्र किया, ना ही कभी वसीयत की, ना ही कभी गोद पत्र लिखा। इस प्रकार गैरसायल नम्बर 01 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता न तो कभी रहा और ना ही आज है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायल नम्बर 01 व उसके भाई त्रिलोकचन्द व प्रकाश चन्द ने न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन सिटी में स्वरूप चन्द व स्टेंट ऑफ राजस्थान के विरुद्ध एक दावा बावत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया, जिसके सम्बंध में गैरसायल नम्बर 01 ने दिनांक 22.10.2004 को मृतक स्वरूप चन्द के रिहायशी मकान पर सायला से उक्त मुकदमें में गोद पत्र के बावत दिनांक 22.10.2004 को कहा तो सायला को उक्त मुकदमे में गोद पत्र के सम्बन्ध में सर्व प्रथम जानकारी हुई, जिस पर सायला ने फोरन ही दिनांक 28.10.2004 को न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर गैरसायल नम्बर 01 ने अपने दावे में कामयाबी न मिलने के कारण बीच में ही बिना किसी अन्य पक्षकारान को सूचित किये विड्रा कर लिया तथा सायला ने उक्त तथाकथित गोद पत्र को निरस्त कराने बावत सायला ने दावा वउनवानी प्रकरण अरुणा देवी बनाम राधेश्याम दावा बावत घोषित किये जाने गोदनामा दिनांक 18.09.1995 माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नम्बर–1, हिण्डौन सिटी के यहां विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायला ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र का विरासत में नामांतकरण खुलवाने के लिए कार्यवाही की तो गैरसायल संख्या 01 ने उक्त फर्ज़ी गोद पत्र दिनांक 18.09.1995 के आधार पर सायला के हक में विरासत का नामांतकरण खुलने का विरोध किया तथा सायला ने उक्त गोद पत्र को निरस्त करवाने के बावत माननीय सिविल न्यायालय में दावा दायर किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया तथा सिविल न्यायालय द्वारा सायला का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात पर स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिसके कारण सायला के हक में विरासत का नामांतकरण

नहीं खुल सका तथा आज भी उक्त आराजीयात सायला के पिता स्वरूप चन्द की खातेदारी में ही चली आ रही है, जबकि कब्जाकाश्त सायला का चला आ रहा है, इस प्रकार सायला ही स्वरूप चन्द की उक्त आराजीयात की खातेदार घोषित किये जाने की एकमात्र अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 10.09.2023 को सुबह 10 बजे का है कि सायला अपने कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की भूमि आराजीयात मुतज़िक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र की सार–संभाल कर रही थी, तब गैरसायल संख्या 01 अपने हमराहियों के साथ मौके पर आया तथा सायला से कहा कि यहां क्या लेने आई है, तूने मेरे खिलाफ गोद पत्र को निरस्त करवाने बावत जो दावा ए०डी०जे० कोर्ट में चल रहा है, वह अब खारिज होने वाला है तथा मैं उक्त आराजीयात पर लट्ठ की ताकत पर जबरन कब्जा करुंगा तथा तुझे बेदखल करके छोड़ूंगा, तब सायला ने गैरसायल संख्या 01 से कहा कि तेरा मेरे पिता स्वरूप चन्द की उक्त आराजीयात से क्या सम्बंध या वास्ता है तथा मेरे पिता स्वरूप चन्द के समय से ही करीबन 40–50 साल से उक्त आराजीयात पर मेरा कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा मैं ही एकमात्र स्वरूप चन्द की पुत्री होने के कारण उक्त आराजीयात की मालिक व अधिकारी हूं तथा तेरा उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, फिर तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन गैरसायल संख्या 01 ने सायला की एक नहीं सुनी तथा कहा कि तेरा ए0डी0जे0 कोर्ट में दावा खारिज होते ही मैं उक्त आराजीयात पर कब्जा करके रहूंगा, तुझे जो करना हो कर लेना, इसलिए सायला/वादिया को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा/दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि गैरसायल संख्या 01 ने सायला को अपने पिता की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र से बेदखल कर दिया व सायला को काश्त नहीं करने दी तो सायला को गांव छोड़कर निकलना पड़ेगा तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति दृव्य में संभव नहीं है, इसलिए गैरसायल संख्या 01 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैंसला दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायला के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की आराजीयात खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286

रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर, 5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर, 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21 ऐयर, 5322 रकवा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 9 है0 7 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन में सायला के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करावें, ना ही सायला को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करे तथा सायला को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायला के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.03.2025 को गैरसायल सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं0 1 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 1 में सायला द्वारा झूठें व निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, किन्तु उक्त दावे में सायला को सफलता मिलने की लेशमात्र भी कोई संभावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 2 में लक्ष्मणदास के सजरे में गैरसायल सं. 1 के दत्तक पिता स्वरूपचंद को सायला ने गलत तौर से लक्ष्मणदास के पुत्र के तौर पर जोड़ रखा है, जबकि स्वरूपचंद अपने बाल्यकाल में ही जती परम्परा व रीति रिवाजों के अनुरूप हिन्दू विधि से गिरवरचंद उर्फ गिरधरचंद जती के चेले बनकर गोद चले गये थे, इसलिए उनका औरस माता–पिता, भाई–बहिन से गोद जाने के बाद विधिक रूप से कोई संबंध या वास्ता नहीं रहा है, सायला, गैरसायल राधेश्याम के दत्तक पिता स्वरूपचंद की कोई पुत्री नहीं है बल्कि सायला, जगदीशप्रसाद की औरस पुत्री है, सायला ने राजकीय विद्यालय सकरघटा से कक्षा–8 तक शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें उनके औरस पिता का नाम जगदीशप्रसाद दर्ज है, सायला महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करती है जिसमें नौकरी के लिए प्राप्त किये गये आदेश, सर्विस रिकॉर्ड में भी सायला के पिता का नाम जगदीशप्रसाद दर्ज है, सायला द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा व अन्य बैंकों में जो बैंक खाते खुलवा रखे हैं जिनमें उन्हें मासिक सैलेरी व अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, में भी सायला के पिता का नाम जगदीशप्रसाद दर्ज है। सायला, गैरसायल राधेश्याम के दत्तक पिता स्वरूपचंद की कोई पुत्री नहीं है, इसलिए जब सायला मृतक स्वरूपचंद की

पुत्री ही नहीं है तो उसका जायज कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी होना विधिक रूप से संभव नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 3 में दर्ज तथ्य गलत हैं स्वीकार नहीं है। सायला की मां द्रोपती देवी का विवाह गैरसायल राधेश्याम के दत्तक पिता स्वरूपचंद के साथ हिण्डौन या कहीं अन्य स्थान पर सम्पन्न नहीं हुआ, जती परम्परा में सन् 1995 तक ब्रह्मचारी अविवाहित रहने की प्रथा रही है, इसीलिए सायला द्वारा अपनी मां का विवाह स्वरूपचंद से होने की कोई तारीख, मिति, वर्ष या सम्वत उक्त मद में दर्ज नहीं किया है, जब सायला की मां द्रोपती से स्व. स्वरूपचंद की कोई शादी ही नहीं हुई तो उसे कुछ साल बाद छोड़ने या सायला का स्वरूपचंद से बिन्द से पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब सायला, स्वरूपचंद की पुत्री ही नहीं है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उसे मृतक स्वरूपचंद की सम्पदा को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, मृतक स्वरूपचंद द्वारा सायला की दिनांक 01.03.1968 को या अन्य किसी दिन कोई शादी या कन्यादान नहीं किया था, सर्विस रिकार्ड, शिक्षा रिकार्ड सायला के अनुसार सायला का जन्म दिनांक 01.03.1963 है, सायला जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज में पांच वर्ष की आयु में विवाह करने की कोई प्रथा या रिवाज कभी नहीं रही है, सायला द्वारा स्थानीय प्रोपर्टी डीलरों से मिलकर दिनांक 01.03.1988 का एक विवाह का कार्ड वर्ष 2004 में स्वरूपचंद मृतक को उक्त कार्ड में अपना पिता दर्ज करवाकर फर्जी बनवा लिया है ताकि वह स्वरूपचंद की जायदाद व सम्पत्ति को विवादित कर सके। सायला द्वारा मृतक स्वरूपचंद की उनकी मृत्यु तक कभी कोई सेवा सुश्रुषा नहीं की और ना ही मृतक स्वरूपचंद द्वारा सायला के पुत्र जूली को मरने के बाद जायदाद का वारिस ही माना और ना ही इस संबंध में दिनांक 14.01.81 को या अन्य किसी दिन कोई स्टाम्प पर तहरीर सीताराम व कन्हैयालाल गवाहों की मौजूदगी में करवाकर सायला को संभलायी, बल्कि उक्त तथाकथित लिखावट दिनांक 14.01.81 भी सायला द्वारा सीताराम व कन्हैयालाल एवं स्थानीय प्रोपर्टी डीलरों से मिलकर, गैरसायल सं. 1 के विधिक हक व अधिकारों के संबंध में एवं मृतक स्वरूपचंद की जायदाद को विवादित बनाने के संबंध में विवाद पैदा करने के लिए फर्जी व कूटरचित बनाया है, जिसके आधार पर भी न्यायालय हाजा में ही सायला द्वारा एक अन्य वाद विधि विरूद्ध रूप से कई वर्ष पूर्व से बृजमोहन बनाम अरूणा देवी के नाम से संस्थित करा रखा है, जिसमें भी सायला को न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान नहीं किया है, एक तरफ तो सायला अपने पुत्र जूली को उक्त तथाकथित लिखावट दिनांक 14.01.81 के आधार पर मृतक स्वरूपचंद की जायदाद का वारिस बताती

है, दूसरी तरफ स्वयं को मृतक स्वरूपचंद की औरस पुत्री बताकर वारिस बताती है, उक्त दोनों ही बातें एक दूसरे की विरोधाभाषी हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 4 में दर्ज तथ्य गलत हैं स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं. 1, रामरतन पुत्र श्रीचंद एवं गीतादेवी पत्नी रामरतन का औरस पुत्र अवश्य रहा है, लेकिन दीपावली वर्ष 1985 की दौज के दिन गैरसायल सं. 1 के औरस माता–पिता ने गैरसायल सं. 1 को मृतक स्वरूपचंद दत्तक पुत्र गिरवरचंद उर्फ गिरधरचंद को जती परम्परा एवं हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गोद दे दिया है, तब से आज तक गैरसायल सं. 1 राधेश्याम दत्तक पुत्र स्वरूपचंद के तौर पर अपने दत्तक पिता के साथ उनके निवास पर रहकर उनकी चल अचल सम्पत्तियों को उनके संरक्षण में उनके जीवनपर्यन्त और उनकी मृत्यु के बाद उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, गैरसायल सं. 1 के समस्त राजकीय दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, मतदाता सूची, राशनकार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पंजीकृत वाहनों की आर.सी., बिजली कनेक्शनों के बिल, बीमा पॉलिसियों के बॉण्ड, बैंक खातों की पासबुक में गैरसायल सं. 1 का नाम राधेश्याम दत्तक पुत्र स्वरूपचंद के तौर पर दर्ज चला आ रहा है, गैरसायल सं. 1 को कुछ लोग औरस पिता रामरतन के तौर पर भी जानते व पहचानते रहे हैं जिनके द्वारा कुछ राजकीय दस्तावेजों में गलत तौर से गैरसायल सं. 1 की वल्दियत दत्तक पिता स्वरूपचंद के स्थान पर औरस पिता रामरतन दर्ज करवा दी है इसके संबंध में गैरसायल सं. 1 को जानकारी होते ही गैरसायल ने उक्त गलत प्रविष्टियों को जितना संभव हो सका दुरुस्त करवाने का प्रयास किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 5 में दर्ज आराजी के एक इंच भाग पर भी सायला या किसी अन्य व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त मद में दर्ज आराजी में मृतक स्वरूपचंद के दो पुख्ता मकान, अनाज गोदाम, पाटोरपोश, एक कुआ व एक बोरिंग, दुकानात, छतरी जतीयों की बनी हुई है जिनका एवं शेष खसरों की भूमि का उपयोग गैरसायल सं. 1 रिहायश के लिए, अनाज भण्डारन के लिए एवं खेती की जमीनों को काश्त करने के लिए अपने दत्तक पिता के समय से ही करता चला आ रहा है, उक्त खसरों की सम्पत्ति में बनी हुई मकानियत व कुए व बोरिंग में बिजली कनेक्शन भी गैरसायल सं. 1 के नाम से लगे हुए हैं, उक्त खसरों की भूमि के संबंध में सरकार को देय भेज भी गैरसायल द्वारा ही जमा करायी जाती है, गैरसायल एवं उसके परिवार के पहचान के समस्त दस्तावेज भी अभय विद्या मंदिर के पास, जतीयों की छतरी, करौली रोड के पते के दत्तक पिता के जीवनकाल से ही बने हुए हैं, जबकि सायला आदर्श होटल के पास करीब एक किलोमीटर दूर निवास करती है और महिला बाल विकास विभाग

में सर्विस करती है, सायला द्वारा स्वयं को मृतक स्वरूपचंद की औरस पुत्री बताकर, स्वरूपचंद के द्वारा गैरसायल सं. 1 के हक में पंजीबद्ध करवाये दानपत्र दिनांक 18.09.95 को शून्य घोषित करवाने एवं उक्त मद में वर्णित आराजीयात के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2005 में पेश किये गये सिविल वाद अरुणादेवी बनाम राधेश्याम मु. नं. 61/ 2005 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश हिण्डौन सिटी में भी सायला का औरस पुत्री होना, मृतक स्वरूपचंद की उक्त मद में विवादित आराजीयात पर उसका काबिज होना, निर्णय दिनांक 05.09.2024 में प्रमाणित नहीं पाया है, सायला का उक्त वाद न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, उक्त मद में वर्णित जायदाद पर गैरसायल सं. 1 ही अपने परिवार सहित आज भी काबिज व दखील है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया है गलत है स्वीकार नहीं है। सायला द्वारा मृतक स्वरूपचंद की ओर से गैरसायल सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किये पंजीकृत गोदपत्र दिनांक 18.09.95 को विधि विरूद्ध बताकर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 193/17 थाना हिण्डौन में दर्ज करवायी थी, उक्त रिपोर्ट में पुलिस द्वारा गैरसायल सं. 1 के पक्ष में निष्पादित गोदपत्र एवं मुख्त्यारनामा के संबंध में विधिवत रूप से निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उक्त दोनों ही दस्तावेजों को मृतक स्वरूपचंद द्वारा अपने हस्ताक्षर व निशानी कर जारी करना अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.03.2020 में प्रमाणित पाया है, सायला द्वारा उक्त मद में वर्णित आधार लेकर जो वाद नंबरी 61/2005 अरुणादेवी बनाम राधेश्याम न्यायालय अपर जिला जजी हिण्डौन में पेश किया था, उक्त वाद के निर्णय दिनांक 05.09.2024 में भी उक्त गोदपत्र को विधिसम्मत प्रमाणित कर सायला का वाद खारिज किया है, विवादित जायदाद पर गैरसायल सं. 1 जब काबिज है तो उसे सायला को जो कि एक इंच भाग पर भी काबिज नहीं है बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायला के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 7 में वर्णित तथ्य मृतक पिता स्वरूपचंद की सोच थी जिनके द्वारा उक्त मुकदमा पेश कर उसे विड्रॉ किया, सायला द्वारा गोदपत्र को निरस्त करवाने के लिए एवं विवादित जायदाद के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश किये गये वाद को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम तौर पर अपने निर्णय दिनांक 05.09.2024 को खारिज कर दिया है जिसकी अपील में भी सायला को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आज दिन तक कोई स्थगन प्रदान नहीं किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 8 में दर्ज तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। मृतक स्वरूपचंद की मृत्यु उपरांत गैरसायल सं. 1 द्वारा विरासत नामान्तकरण के लिए लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार जी को प्रार्थनापत्र पेश किया था, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 01.11.2004 को दो पटवारियों की टीम से एक जांच रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर दिनांक 01.11.2004 को ही मजमेआम में जांच कर दोनों पटवारियों ने एक फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार जी को पेश की थी, उक्त मौका रिपोर्ट में भी गैरसायल सं. 1 को मृतक स्वरूपचंद द्वारा गोद लेना, रजिस्टर्ड गोदनामा होना, उपस्थित व्यक्तियों ने गोद के तथ्य को स्वीकार करना, मृतक स्वरूपचंद की चल अचल सम्पत्तियों व कृषि भूमियों व मकान पर गैरसायल राधेश्याम का काबिज होना, स्वरूपचंद की मृत्यु होना, अंतिम संस्कार बतौर दत्तक पुत्र राधेश्याम द्वारा करना, पगड़ी रस्म भी राधेश्याम के सिर पर होना प्रमाणित पाया, जिसके आधार पर विवादित आराजीयात का विरासत नामान्तकरण सं. 3202 गैरसायल सं. 1 के पक्ष में विधिवत तस्दीक किया गया, उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध सायला द्वारा पेश की गयी विधि विरूद्ध अपील को भी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.07.2010 से खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध सायला द्वारा रेवेन्यू बोर्ड में की गयी अपील में उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के संबंध में विचाराधीन मुकदमा अरुणादेवी बनाम राधेश्याम के निर्णय तक स्थगन जारी किया गया, उक्त मुकदमा अरुणादेवी बनाम राधेश्याम दिनांक 05.09.2024 को खारिज हो गया है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से भी सायला को स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सायला द्वारा पुनः विधि विरूद्ध रूप से हस्तगत वाद पेश कर नामान्तकरण की विधिसम्मत प्रक्रिया को रुकवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आज भी विवादित आराजीयात पर गैरसायल सं. 1 ही काबिज है, सायला को विवादित आराजी का खातेदार घोषित होने का कोई विधिसम्मत हक या अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 9 में दर्ज तथ्य गलत हैं स्वीकार नहीं है। दिनांक 10.09.23 को या अन्य किसी दिन गैरसायल सं. 1 ने सायला को उक्त मद में दर्ज कोई धमकी नहीं दी, सायला एडीजे कोर्ट में पेश दावे के परिणाम से स्वयं वाकिफ थी, जिसके परिणाम को भांपकर ही सायला द्वारा उक्त मद में काल्पनिक तथ्य दर्ज कर झूठा वादकारण होना दर्ज कर हस्तगत वाद पेश किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं. 10 में दर्ज तथ्य गलत हैं स्वीकार नहीं है। भूमि मुतजिक्रा मद नं. 5 प्रार्थनापत्र पर सायला का एक इंच भूमि पर भी या किसी भी रिहायशी भाग पर कोई कब्जा ना कभी रहा है, ना

आज है, इसीलिए सायला ने उक्त सम्पत्ति पर कब्जे के संबंध में एक भी दस्तावेज हस्तगत वाद में पेश नहीं किया है, जब सायला का विवादित जायदाद में कोई हक अधिकार या कब्जा ही नहीं है तो उसे विवादित जायदाद के संबंध में कोई अपूर्णनीय क्षति व असुविधा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, फिर भी यदि हस्तगत प्रार्थनापत्र में गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है तो उसके विरासत नामान्तकरण की सामरत विधिक कार्यवाही एवं खातेदार को प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में साबित नहीं है, इसलिए भी उक्त प्रार्थनापत्र विधिक रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>उज्जात मजीद</u>

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि सायला, स्वरूपचंद पुत्र गिरधरचंद उर्फ गिरवरचंद की कोई औरस पुत्री नहीं है, बल्कि वह जगदीशप्रसाद की पुत्री है, इसलिए सायला को मृतक स्वरूपचंद की जायदाद में मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम विरासतन कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रार्थनापत्र सायला रिजेक्ट कर खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि मद नं. 5 प्रार्थनापत्र में वर्णित मृतक स्वरूपचंद की खातेदारी में दर्ज चली आ रही आराजीयात, रिहायशी परिसर, बोरिंग, छतरी आदि पर गैरसायल सं. 1 अपने दत्तक पिता के जीवनकाल के समय से ही काबिज व दखील चला आ रहा है, उसके द्वारा भी भेज सरकारी अदा की जाती है, बिजली कनेक्शन भी गैरसायल सं. 1 के नाम के हैं, गैरसायल सं. 1 व उसके परिवार के सभी राजकीय दस्तावेज उक्त जायदाद के पते के हैं, गैरसायल सं. 1 द्वारा विवादित जायदाद का उपयोग–उपभोग कर कृषि योग्य भूमि में काश्त करवायी जाती है, जबकि सायला उक्त जायदाद से करीब एक किलोमीटर दूर आदर्श होटल के पास निवास करती है और महिला बाल विकास विभाग में सरकारी नौकरी करती है, सायला का उक्त विवादित भूमि व जायदाद के एक इंच भाग पर भी कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिसके अभाव में सायला का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि सायला द्वारा स्वयं को मृतक खातेदार स्वरूपचंद की औरस पुत्री बताकर मद नं. 5 प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में हक और अधिकार बताकर, गैरसायल सं. 1 के पक्ष में निष्पादित हुए विधि सम्मत गोदपत्र दिनांक 18.09.1995 को शून्य घोषित करवाने व मद नं. 5 प्रार्थनापत्र की जायदाद के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए न्यायालय अपर जिला जजी नं. 1 हिण्डौन सिटी में

मुकदमा नं. 61/05 अरुणादेवी बनाम राधेश्याम पेश किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा सायला को मृतक स्वरूपचंद की औरस पुत्री होना प्रमाणित नहीं माना है, मद नं. 5 प्रार्थनापत्र में वर्णित जायदाद के एक इंच भाग पर भी उसका कब्जा नहीं माना है, गैरसायल सं. 1 के पक्ष में निष्पादित गोदपत्र को विधिसम्मत मानकर, मद नं. 5 प्रार्थनापत्र में वर्णित जायदाद पर उनका कब्जा हक अधिकार मानकर सायला के वाद को अपने निर्णय दिनांक 05.09.2024 द्वारा खारिज कर दिया है, सायला द्वारा गोदपत्र व मुख्त्यारनामा पर मृतक स्वरूपचंद की मौजूदा निशानी व हस्ताक्षरों को फर्जी व कूटरचित बताकर पेश की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो जयपुर से प्राप्त की गई एफएसएल रिपोर्ट में भी सायला के शक व आरोपों को झूठा व असत्य माना है, सायला को उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी सायला द्वारा तथ्य छिपाकर उक्त हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया है, इसलिए भी प्रार्थनापत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 अपने दत्तक जाने के दिन से ही राधेश्याम दत्तक पुत्र स्वरूपचंद के नाम से अभय विद्या मंदिर के पास, जतीयों की छतरी, करौली रोड पर निवास करता है फिर भी सायला द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी रखते हुए न्यायालय से एकपक्षीय मुकदमा निस्तारण करवाने के लिए प्रार्थनापत्र हाजा के उनवान में गैरसायल सं. 1 के पिता का नाम रामरतन व निवास गलत दर्ज कर सम्मन भिजवाये हैं, साथ ही सायला द्वारा प्रार्थनापत्र के उनवान में स्वयं को जगदीशप्रसाद की पुत्री के बजाय गैरसायल सं. 1 के दत्तक पिता स्वरूपचंद की पुत्री बताकर हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया है, यानि सायला द्वारा सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मुकदमे के निस्तारण का विधि विरूद्ध प्रयास किया गया है इसलिए भी सायला के न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आने के कारण प्रार्थनापत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायला मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या नया 2318 ग्राम हिण्डौन पेश किये हैं।

इसके विपरीत फोटो प्रति नकल न्यायालय अपर न्यायाधीश क्रम सं. 1 हिण्डौन सिटी राजस्थान दीवानीवाद संख्या 61/2005 सीआईएस नं. 193/2014 उनवानी अरूणा देवी बनाम राधेश्याम दावा बाबत घोषित किये जाने गोदनामा दिनांक 18.09.1995 तथा गोद गैरकानूनी एवं स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2024, फोटोप्रति नकल रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 18.09.1995 उनवानी स्वरूपचन्द पुत्र गिरधरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी अभय विघा मन्दिर के पास हिण्डौन–गोदग्रहिता बहक राधेश्याम दत्तक पुत्र

स्वरूपचन्द नेचुरल फादर रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी चौबे पाड़ा, हिण्डौन, शिक्षा विभाग राजस्थान राज्य पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा अरूणा देवी शर्मा पुत्री जगदीश शर्मा निवासी हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर दिनांक 16.05.1976 कक्षा 8 उत्तीर्ण जन्मतिथि 1 मार्च 1963 जारी दिनांक 10.10.1985, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 01.04.1972 उनवानी अरूणा देवी उर्फ मुन्नी पत्नि घनश्याम पुत्री जौहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी आगरा हाल हिण्डौन–विक्रेता प्रथम पक्ष बहक मु0 रेवती देवी धर्मपत्नि श्री मांगीलाल पुत्र श्री घूडमल जाति महाजन निवासी कटरा बाजार हिण्डौन, फोटोप्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जाारी पहचान पत्र क्रमांक RJ/11/086/411259 राधेश्याम जती पुत्र स्वरूपचन्द जती, फोटो प्रति निर्वाचक नामावली नगर पालिका चुनाव 2020 नगरपरिषद् हिण्डौन वार्ड नं. 21 भाग संख्या 2 की क्रम संख्या 280 पर मतदाता पहचान पत्र संख्या SFC 0326165 राधेश्याम जती पुत्र स्वरूपचन्द जती, फोटो प्रति न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर अपील संख्या 4/10 उनवानी अरूणा देवी पुत्री स्वरूपचन्द पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन अपीलान्ट बनाम राधेश्याम पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन व अन्य रेस्पोडेन्ट अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हिण्डौन नामान्तकरण संख्या 3202 दिनांक 23.10.2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2010, फोटो प्रति महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर कार्यालय आदेश क्रमांक 986–90 दिनांक 25.06.1987 सुश्री अरूणा देवी पुत्री श्री जगदीश शर्मा निवासी हिण्डौन सिटी को आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर ग्राम खेडी घाटम आंगनबाडी केन्द्र पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मानदेय 225/– रूपया प्रति माह पर नियुक्त किया जाता है। आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गयी है। आपकी सेवायें कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कभी भी बिना नोटिस दिये समाप्त किये जा सकते है, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहाराया है तथा सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहाराया है और सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286 रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर,

5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर, 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21 ऐयर, 5322 रकवा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 9.07 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी स्वरूपचन्द पुत्र गिरवरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल न्यायालय अपर न्यायाधीश क्रम सं. 1 हिण्डौन सिटी राजस्थान दीवानी वाद संख्या 61/2005 सीआईएस नं. 193/2014 उनवानी अरूणा देवी बनाम राधेश्याम दावा बाबत घोषित किये जाने गोदनामा दिनांक 18.09.1995 तथा गोद गैरकानूनी एवं स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2024 के अनुसार वादी का वाद खारिज किया गया है। अर्थात रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 18.09.1995 यथावत रहा है।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 18.09.1995 उनवानी स्वरूपचन्द पुत्र गिरधरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी अभय विघा मन्दिर के पास हिण्डौन–गोदग्रहिता बहक राधेश्याम दत्तक पुत्र स्वरूपचन्द नेचुरल फादर रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी चौबे पाड़ा हिण्डौन उपपंजीयक हिण्डौन के यहां रजिस्टर्ड हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वरूपचन्द पुत्र गिरधरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी अभय विघा मन्दिर के पास हिण्डौन के द्वारा दिनांक 18.09.1995 जरिए रजिस्टर्ड गोद पत्र राधेश्याम पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी चौबे पाड़ा हिण्डौन को गोद लिया जाना साबित है।

फोटो प्रति शिक्षा विभाग राजस्थान राज्य पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा अरूणा देवी शर्मा पुत्री जगदीश शर्मा निवासी हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर दिनांक 16.05.1976 कक्षा 8 उत्तीर्ण जन्मतिथि 1 मार्च 1963 जारी दिनांक 10.10.1985 जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 01.04.1972 उनवानी अरूणा देवी उर्फ मुन्नी पत्नि घनश्याम पुत्री जौहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी आगरा हाल हिण्डौन–विक्रेता प्रथम पक्ष बहक मु0 रेवती देवी धर्मपत्नि श्री मांगीलाल पुत्र श्री घूडमल जाति महाजन निवासी कटरा बाजार हिण्डौन के हक में आवासीय बाखल जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष की नानी मु0 हरमेजी द्वारा दान में मिली पांच गैह पाटौर पैमाइश पूर्व–पश्चिम 37 फीट 6 इंच, उत्तर –दक्षिण 18 फीट 6 इंच करौली रोड वार्ड नं. 13 कस्बा हिण्डौन का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जाारी पहचान पत्र क्रमांक RJ/11/086/411259 राधेश्याम जती पुत्र स्वरूपचन्द जती के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति निर्वाचक नामावली नगर पालिका चुनाव 2020 नगरपरिषद् हिण्डौन वार्ड नं. 21 भाग संख्या 2 की क्रम संख्या 280 पर मतदाता पहचान पत्र संख्या SFC 0326165 राधेश्याम जती पुत्र स्वरूपचन्द जती के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर अपील संख्या 4/10 उनवानी अरूणा देवी पुत्री स्वरूपचन्द पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन अपीलान्ट बनाम राधेश्याम पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन व अन्य रेस्पोडेन्ट अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हिण्डौन नामान्तकरण संख्या 3202 दिनांक 23.10.2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2010 के अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है तथा तहसीलदार हिण्डौन का नामान्तकरण संख्या 3202 दिनांक 23.10.2009 को यथावत रखा गया है।

फोटो प्रति महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर कार्यालय आदेश क्रमांक 986–90 दिनांक 25.06.1987 सुश्री अरूणा देवी पुत्री श्री जगदीश शर्मा निवासी हिण्डौन सिटी को आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर ग्राम खेडी घाटम आंगनबाडी केन्द्र पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मानदेय 225/– रूपया प्रति माह पर नियुक्त किया जाता है। आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गयी है। आपकी सेवायें कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कमी भी बिना नोटिस दिये समाप्त किये जा सकते है जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि सायला अरूणादेवी के पिता स्वरूपचन्द हो। जबकि गैरसायल सं01 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर गैरसायल सं01 राधेश्याम, स्वरूपचन्द का दत्तक पुत्र होना साबित है। सायला ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि स्वरूपचन्द की एक मात्र वारिस सायला हो। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। सायला के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायल सं01 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायल सं01 के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती हैं। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286 रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर, 5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर, 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21 ऐयर, 5322 रकवा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 9.07 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.12.2023 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब, हिण्डौनसिटी

अरुणा देवी उम्र 58 साल पुत्री श्री स्वरूपचन्द पत्नी घनश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0) ——सायला

बनाम

1. राधेश्याम उंम्र 50 वर्ष पुत्र श्री रामरतन, जाति ब्राह्मण, निवासी चौबेपाडा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0)
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील–हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज0)

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट)

श्रीमानजी,

सेवामें प्रार्थना पत्र सायला निम्नलिखित पेश है:–

1. यहकि सायला ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश किया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

2. यहकि सायला व उसके पिता स्वरूप चन्द का सजरा निम्न प्रकार है:–

लक्ष्मण दास

स्वरूपचन्द धनजीदास (अविवाहित फौत) कान्ति (फौत) शांति (फौत)

↓

अरुणादेवी (पुत्री)

इस प्रकार सायला ही एकमात्र स्वरूप चन्द की जायज कानूनी वारिस व एकमात्र उत्तराधिकारी है।

अरुणाशर्मा

3. यहकि मृतक स्वरूप चन्द की शादी सायला की माता द्रोपदी देवी के साथ हिण्डौन सिटी में सम्पन्न हुई थी, लेकिन सायला के पिता स्वरूप चन्द ने कुछ साल वाद उसे छोड दिया था। सायला स्वरूप चन्द जती के विन्द से पैदा हुई पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक स्वरूप चन्द की सम्पदा को प्राप्त करने की हक़दार है। मृतक स्वरूप चन्द ने ही दिनांक 01.03.1968 को सायला की शादी की थी और कन्यादान किया था, सायला ने स्वरूप चन्द की मृत्यु पर्यन्त सेवा की तथा मृतक स्वरूप चन्द ने सायला के लड़के जूली को उसके मरने के वाद जायदाद का वारिस भी माना था और उस सम्वंध में एक लिखावट दिनांक 14.01.1981 को 3/–रुपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर गवाही गवाहान सीताराम व कन्हैयालाल की कराकर सायला को संभला दी थी, इस प्रकार सायला ही एकमात्र मृतक स्वरूपचन्द की जायदाद की मालिक है और उसे कानूनी रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

4. यहकि गैरसायल नम्बर 01 अपने पिता रामरतन पुत्र श्रीचन्द का खास लड़का है जो आज भी वह सरकारी रिकॉर्ड में रामरतन का पुत्र दर्ज है। रामरतन का मृतक स्वरूप चन्द के परिवार से कभी कोई वास्ता आज तक नहीं रहा, ना ही मृतक स्वरूप चन्द की जमीन जायदाद से कोई सम्बंध आज तक रहा, ना ही आज है।

5. यहकि मृतक स्वरूप चन्द की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286 रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर, 5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर, 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21

ऐयर, 5322 रकबा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकबा 9 है 7 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है, जिस पर सायला अपने पिता स्वरूप चन्द के मरने के पश्चात काबिज व दखील चली आ रही है। उक्त आराजीयात से गैरसायल नम्बर 01 व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

6. यहकि गैरसायल संख्या 01 बहुत ही चालाक किस्म का व आदतन अपराधी व्यक्ति है तथा सायला के पिता स्वरूप चन्द की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र पर गैरसायल संख्या 01 की उक्त आराजीयात को हड़पने की नीयत से तथा सायला को अपने पिता की जायदाद से महरूम करने की गरज से गैरसायल संख्या 01 ने कभी तो दानपत्र कभी गोद पत्र तो कभी वसीयतनामा की बात बतलाकर सायला को उक्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देता है, जबकि गैरसायल संख्या 01 के हक में सायला के पिता स्वरूप चन्द ने न तो कभी कोई दान पत्र किया, ना ही कभी वसीयत की, ना ही कभी गोद पत्र लिखा। इस प्रकार गैरसायल नम्बर 01 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता न तो कभी रहा और ना ही आज है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

7. यहकि गैरसायल नम्बर 01 व उसके भाई त्रिलोकचन्द व प्रकाश चन्द ने न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन सिटी में स्वरूप चन्द व स्टेट ऑफ राजस्थान के विरुद्ध एक दावा बावत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया, जिसके सम्बंध में गैरसायल नम्बर 01 ने दिनांक 22.10.2004 को मृतक स्वरूप चन्द के रिहायशी मकान पर सायला से उक्त मुकदमे में गोद पत्र के बावत दिनांक 22.10.2004 को कहा तो सायला को उक्त मुकदमे में गोद पत्र के सम्बंध में सर्व प्रथम जानकारी हुई, जिस पर सायला ने फोरन ही

अरुणाशर्मा

दिनांक 28.10.2004 को न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर गैरसायल नम्बर 01 ने अपने दावे में कामयाबी न मिलने के कारण बीच में ही बिना किसी अन्य पक्षकारान को सूचित किये विड्रा कर लिया तथा सायला ने उक्त तथाकथित गोद पत्र को निरस्त कराने बावत सायला ने दावा वउनवानी प्रकरण अरुणा देवी बनाम राधेश्याम दावा बावत घोषित किये जाने गोदनामा दिनांक 18.09.1995 माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नम्बर–1, हिण्डौन सिटी के यहां विचाराधीन है।

8. यहकि सायला ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र का विरासत में नामांतकरण खुलवाने के लिए कार्यवाही की तो गैरसायल संख्या 01 ने उक्त फर्जी गोद पत्र दिनांक 18.09.1995 के आधार पर सायला के हक में विरासत का नामांतकरण खुलने का विरोध किया तथा सायला ने उक्त गोद पत्र को निरस्त करवाने के बावत माननीय सिविल न्यायालय में दावा दायर किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया तथा सिविल न्यायालय द्वारा सायला का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात पर स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिसके कारण सायला के हक में विरासत का नामांतकरण नहीं खुल सका तथा आज भी उक्त आराजीयात सायला के पिता स्वरूप चन्द की खातेदारी में ही चली आ रही है, जबकि कब्जाकाश्त सायला का चला आ रहा है, इस प्रकार सायला ही स्वरूप चन्द की उक्त आराजीयात की खातेदार घोषित किये जाने की एकमात्र अधिकारी है।

9. यहकि वाका दिनांक 10.09.2023 को सुबह 10 बजे का है कि सायला अपने कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की भूमि आराजीयात

मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र की सार–संभाल कर रही थी, तब गैरसायल संख्या 01 अपने हमराहियों के साथ मौके पर आया तथा सायला से कहा कि यहां क्या लेने आई है, तूने मेरे खिलाफ गोद पत्र को निरस्त करवाने बावत जो दावा ए0डी0जे0 कोर्ट में चल रहा है, वह अब खारिज होने वाला है तथा मैं उक्त आराजीयात पर लट्ठ की ताकत पर जबरन कब्जा करुंगा तथा तुझे बेदखल करके छोडूंगा, तब सायला ने गैरसायल संख्या 01 से कहा कि तेरा मेरे पिता स्वरूप चन्द की उक्त आराजीयात से क्या सम्बंध या वास्ता है तथा मेरे पिता स्वरूप चन्द के समय से ही करीबन 40–50 साल से उक्त आराजीयात पर मेरा कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा मैं ही एकमात्र स्वरूप चन्द की पुत्री होने के कारण उक्त आराजीयात की मालिक व अधिकारी हूं तथा तेरा उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, फिर भी तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन गैरसायल संख्या 01 ने सायला की एक नहीं सुनी तथा कहा कि तेरा ए0डी0जे0 कोर्ट में दावा खारिज होते ही मैं उक्त आराजीयात पर कब्जा करके रहूंगा, तुझे जो करना हो कर लेना, इसलिए सायला/वादिया को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा/दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

10. यहकि गैरसायल संख्या 01 ने सायला को अपने पिता की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र से बेदखल कर दिया व सायला को काश्त नहीं करने दी तो सायला को गांव छोड़कर निकलना पड़ेगा तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति दृव्य में संभव नहीं है, इसलिए गैरसायल संख्या 01 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

उगरू पारशाई

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैंसला दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायला के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की आराजीयात खसरा नम्बर 5283 रकवा 83 ऐयर, 5284 रकवा 20 ऐयर, 5285 रकवा 10 ऐयर, 5286 रकवा 75 ऐयर, 5293 रकवा 34 ऐयर, 5294 रकवा 80 ऐयर, 5295 रकवा 53 ऐयर, 5309 रकवा 47 ऐयर, 5310 रकवा 60 ऐयर, 5311 रकवा 75 ऐयर, 5312 रकवा 75 ऐयर, 5313 रकवा 20 ऐयर, 5314 रकवा 82 ऐयर, 5315 रकवा 108 ऐयर, 5316 रकवा 2 ऐयर, 5317 रकवा 42 ऐयर, 5318 रकवा 21 ऐयर, 5322 रकवा 20 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 9 हैं 7 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन में सायला के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करावें, ना ही सायला को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करे तथा सायला को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायला के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

दिनांक–

प्रार्थिया

अरुणा देवी पुत्री श्री स्वरूपचन्द पत्नी

घनश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी हिण्डौनसिटी,

जिला करौली (राज0)

न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब, हिण्डौनसिटी

अरुणा देवी बनाम राधेश्याम

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट)

शपथ पत्र

मैं अरुणा देवी पुत्री श्री स्वरूपचन्द पत्नी घनश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0) बहल्फ बयान करता हूं कि :–

1. यहकि मैं उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में सायला हूं तथा दावा हाजा के समस्त तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं।

2. यहकि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के मद नम्बर 01 ता 10 मेरी स्वयं की जानकारी एवं ज्ञान से तथा वमशंवराह मसीरे कानूनी सच व सही हैं। कोई बात गलत व छिपायी नहीं गयी है।

अरुणा देवी

सत्यापन

मैं अरुणा देवी सायला बहल्फ सत्यापित करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के मद नम्बर 01 व 02 मेरी स्वयं की जानकारी व ज्ञान से सही व सच है कोई बात गलत व छिपाई नहीं गई है। उक्त शपथ–पत्र पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है, जो मैंने शपथ–पत्र को पढ, सुन व समझ कर किये है। ईश्वर सहायक है, बमुकाम हिण्डौनसिटी।

दिनांक–

अरुणा देवी